



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29916

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1994/2026

अनिल कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : वेद प्रकाश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें प्रार्थना की गई है (i) विपक्षी पक्ष संख्या 4 द्वारा दिनांक 30.12.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द करने और लागू करने के लिए उत्प्रेषण-लेख प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; (ii) याचिकाकर्ता को उसके मूल पदस्थापन स्थान, अर्थात् सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमीरपुर में, मेरापुर जिले के सभी परिणामी सेवा लाभों सहित, अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखने की अनुमति देने हेतु प्रतिवादियों को परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; (iii) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाला कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; (iv) याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत, अंतर्निहित तकनीकी त्रुटि के कारण, नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ प्रदान की जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"